एफ.सं.11-31/2022-एनएमए/आरटीआई-एफएए (कम्प्यूटर नं. 2334)

भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 25-07-2023

सेवा में,

सभी सक्षम प्राधिकारी,

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय में सी.पी.आई.ओ और एफएए की नियुक्ति के संबंध में

महोदय,

मुझे इस कार्यालय के दिनांक 10.1.2003 के कार्यालय आदेश सं. एफ सं. 11-31/2022-एनएमए/आरटीआई-एफएए जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा स्वंय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) नियुक्त करके अपने स्तर पर आरटीआई अपीलों का निपटान करने का अनुरोध किया गया था, का सन्दर्भ ग्रहण करने का निदेश हुआ है। तथापि यह देखा गया है कि आरटीआई अपील उनके निपटान के लिए सतत् रूप से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (एनएमए) को अग्रेषित की जा रही हैं। एनएमए को अपील अग्रेषित करने की मौजूदा परिपाटी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की भावना के विरूद्ध है क्योंकि यह सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय की जवाबदेही से समझौता है जिससे अपीलों के निपटान में विलम्ब होता है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि सीआईसी ने हाल ही में अपीलों के निपटान में विलम्ब को गम्भीरता से लिया है। एक मामले में सीआईसी ने सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय के एक सीपीआईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न उन पर 25,000/- रू. की शास्ति लगा दी जाए।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 में यह उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) अथवा उप-धारा(3) के खण्ड (क) में विर्निष्ट समय सीमा के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं होता है अथवा वह केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है तो ऐसी अवधि समाप्त होने अथवा ऐसा निर्णय प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से रैंक में वरिष्ठ है, को अपील कर सकता है।

3. वर्तमान में अनुपालन की जा रही परिपाटी के अनुसार, एएमएएसआर (विरासत उप-नियम का निर्माण एवं सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम, 2011 की संबंधित धाराओं के तहत परिभाषित उनके क्षेत्राधिकार के लिए सक्षम प्राधिकारी को सीपीआई के रूप में पदनामित किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय, जो एक स्वतंत्र लोक प्राधिकरण है, के कार्यकरण पर एनएमए का कोई नियंत्रण नहीं है। एएमएएसआर अधिनियम,1958 (ए एण्ड वी 2010) की धारा 20-1(ग) के अनुसार एनएमए की भूमिका केवल सक्षम प्राधिकारियों के कार्यकरण की निगरानी करना है।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में वह अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वाहन कर रहा है, को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी पदनामित किया जाए और वह अधिकारी जो उनसे कनिष्ठ है, को सीपीआई के रूप में नियुक्त किया जाए ताकि सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय और एनएमए के बीच आरटीआई अपीलों की अग्रेषित करने की बजाय निर्धारित समय के भीतर उनका निपटान किया जा सके। ऐसा करने पर सक्षम प्राधिकारियों के सभी कार्यालयों के संबंध में निदेशक, एनएमए, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नही रहेगें। तदनुसार, अब से आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत एनएमए के कार्यालय में कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

5. यह इस विषय पर पिछले सभी अनुदेशों का अधिक्रमण करता है और इस पत्र के जारी होने की तारीख से लागू होगा।

6. इसे अध्यक्ष, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त है।

7. इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है।

भवदीय

सव्यसाची मारवाह

(कर्नल सव्यसाची मारवाहा)
निदेशक, रा.सं.प्रा.